कृपया प्रकाशनार्थ **16 जुलाई 2013**

लोकसभा चुनाव के लिए निर्दोष मतदाता सूचि बना कर उनकी पवित्रता कायम रखें :राम नाईक

मुंबई, मंगलवार :''संसदीय लोकतंत्र प्रणाली कामयाब करने के लिए निर्दोष मतदाता सूचि बना कर उनकी पवित्रता कायम रखना चुनाव आयोग का कर्तव्य है'', ऐसा आवाहन भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने मुंबई शहर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री.चं.व. ओक को किया. मुंबई उपनगर जिला के निर्वाचन अधिकारी श्री. संजय देशमुख छुट्टी पर होने के कारण उनका कार्यभार फिल हाल श्री. ओक के पास है, इसलिए इस संदर्भ श्री. नाईक ने श्री. ओक से मिल कर चर्चा की. कल 15 जुलाई को हुई इस चर्चा में भाजपा पार्षद श्री. विनोद शेलार तथा शहर जिला उपनिर्वाचन अधिकारी श्रीमती माया पाटोले भी उपस्थित थे. श्री. राम नाईक के जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ती में यह जानकारी दी गयी है.

निर्दोष मतदाता सूचि बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा,''वर्ष 2012 में होनेवाले लोकसभा चुनाव के नगाडें अभी से बजने लगे हैं. जनतंत्र में कोई भी चुनाव अगर सही मायनों में कामयाब करने हैं तो मतदाता सूचि दोषरहित होना अनिवार्य है. मतदाता सूचि की पवित्रता कायम रखने के लिए उन्हें निर्दोष बनाना चुनाव आयोग का काम है. 2004 के चुनाव के समय मतदाता सूचि की धांदली बडे पैमाने पर सामने आयी. कई मतदाताओं के छायाचित्र ही नहीं है, बडी संख्या में दुबार (डुप्लिकेट) मतदाता हैं, कई इमारतें सूचि से गायब ही हुअी है, ऐसी कई शिकायतें सामने आयी. हमने बोरीवली, कांदिवली और मालाड विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचिओं की मुंबई के सभी 34 विधानसभा क्षेत्र व ठाणे लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूचिओं से जाँच पडताल की तो हम हक्काबक्का रह गये. 18,02,887 मतदाताओं में से 3,57,520 याने 20 प्रतिशत मतदाता दुबार है यह सामने आया. यह जानकारी हमने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री.एन.गोपालस्वामी तथा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री. देवाशिष चक्रवर्ती से प्रत्यक्ष भेंट व चर्चा कर दी थी. इस विषय का लगातार पीछा करने के बाद मतदाता सूचि की फिर से जाँच करा कर सुधारने का निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिया.''

मतदाता सूचिओं की फिर से जाँच कर उन्हे निर्दोष बनाने के लिए निम्नलिखित पाँच सूचनाओं के बारे में चर्चा हुई ऐसा श्री. राम नाईक ने कहा.: 1) मतदाताओं ने नामों की घर-घर जाकर जाँच करनी चाहिए जिससे वास्तव में ऐसे घर है यां नही यह ध्यान में आएगा और जो घर नहीं मिलें उनके बारे में जाँच करनेवाले निरीक्षकों ने घर मिल नहीं रहा है यह प्रमाणित करना चाहिए. इस आधार पर नाम कम करने की प्रक्रिया कानूनन पुरी की जा सकती है. 2) किसी भी हालात में मतदाता सूचि में दर्ज सभी मतदाताओं के छायाचित्र होने चाहिए इस पर ख्याल करना चाहिए. जिनके छायाचित्र नही रहेंगे उन्हें नोटीस देकर छायाचित्र निकालने कहा जा सकता है. निर्धारित समय में अगर छायाचित्र नही निकाले तो उनके नाम भी कानूनन प्रक्रिया पुरी कर निकालने चाहिए. 3) दुबार मतदाताओं को नोटीस देकर वें कहाँ का नाम रखना चाहते हैं और कहाँ का निकालना चाहते है यह पूछ कर कार्यवाही करनी चाहिए तथा उनके छायाचित्र निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए. 4) घर-घर जाकर जाँच करते वक्त जहाँ इमारतों का यां झोपडपट्टीयों का पुनर्विकास का काम चल रहा है और इसलिए मतदाता वहाँ नही रह रहें है मगर उनके छायाचित्र मतदाता सूचि में है तो योग्य नियम बना कर उनका मतदान का अधिकार कायम रहे यह देखना चाहिए. 5) घर-घर जाकर की जाँच में मृत मतदाता के नाम हटाने के लिए उनके परिवार के अन्य मतदाता सदस्य की स्वाक्षरी लेनी चाहिए जिससे भविष्य में विवाद न हो.

''यह सभी सूचनाओं पर जाँच कर उनके बारे में आठ-दस दिनों में भाजपा प्रतिनिधी मंडल से चर्चा की जाएगी ऐसा आश्वासन जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया'', ऐसा भी श्री. राम नाईक ने अंत में कहा.

(कार्यालय मंत्री)